International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030; Impact Factor: RJIF 5.24
Received: 08-12-2018; Accepted: 11-01-2019
www.advancedjournal.com
Volume 4; Issue 1; January 2019; Page No. 100-103

सोशल मीडिया और महिला अपराध : भारत के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

दिव्या प्रजापति
शोधार्थी (विधि संकाय), जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत।

सारांश
प्रस्तुत शोधपत्र में वर्तमान भारत में समाज परिवर्तन के साथ – साथ बढ़ता सोशल मीडिया का समाजिक प्रभाव व समाज में बढ़ते महिला अपराधों में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, का अध्ययन किया गया है। इस शोध का उद्धेश्य सोशल मीडिया से संबंधित महिला अपराधों को समाज में बढ़ने से रोकनें एवं उनकों नियंत्रित करने के लिए जो पूर्व में निर्मित नियम व कानून है, उनकी उचितता एवं सार्थकता का अध्ययन कर यह पता लगाना है कि वे ऐसे निर्मित कानून इन अपराधों को रोकने व अपराधी को उचित दंड देने में कितने सार्थक है। क्या इनमें संशोधन आवश्यक है? क्या इनकी जगह नयें नियमों और कानूनों का निर्माण होना चाहिए? इस शोध अध्ययन में प्राप्त हुए आंकडों से जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुए उनमें यह स्पष्ट होता है कि आज भी महिला सोशल मीडिया से संबंधित अपराध की शिकार व असुरक्षित है। अतः आज इससे संबंधित निर्मित कानूनों में संशोधन एवं नवीन कानूनो का निर्माण भी आवश्यक है, का सुझाव दिया गया ताकि बढ़ते महिला अपराध को रोका जाए और समाज में महिलाएं सुरक्षित रह कर अपना एवं देश का विकास कर सकें।

मूल शब्द : समाज परिवर्तन, औद्योगिक विकास, सोशल मीडिया, महिला अपराध, कानून।

प्रस्तावना

आज सम्पूर्ण विश्व औद्योगिक विकास की और अग्रसर है और हमारा भारत भी इस विकास की और बढ़ रहा है। चूंकि आज वर्तमान में जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं है, वह आज मानव के लिए काफी नहीं रही क्योंकि सामाजिक परिर्वन के इस दौर में मानव की आवश्यकताएं न केवल दिन– प्रतिदिन बढ़ती जा रही है बल्कि बदलती भी जा रही है। उसे अपने जीवन में बहुत सारे पैसे, संपत्ति इत्यादि कम समय और बिना मेहनत के चाहिए अतः ऐसे में, मानव की आवश्यकताएं कई रूपों में बढ़ती जा रही है।

चूंकि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और बिना आवश्यकता के कुछ कार्य होना संभव नहीं होता अतः आज बढ़ती मानव आवश्यकता ही इस औद्योगिक विकास क्रांति कि देन है। आज औद्योगिक विकास की इस क्रांति से विश्व को को नये–नये उपकरणों, इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस, इंटरनेट, सोशल मीडिया, गैजेट्स इत्यादि प्राप्त हुए है। आज इनका प्रयोग सकारात्मक व नकारात्मक दोनों स्वरूपों में हमें देखने को मिलता है परन्तु वर्तमान में इनका प्रयोग नकारात्मक रूप से करने पर अपराधों को जन्म दे रहा है। सबसे ज्यादा इन अपराधों कि शिकार, भारत मे महिलाएं हुई है। भारत में जहां महिलाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और वह हर क्षेत्र में समान कार्य व वेतन प्राप्त करने की अधिकारिणी होते हुए भी इन इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया के दुरूपयोग की शिकार व असुरक्षित होती जा रही है जिन्हें रोकन अत्यन्त आवश्यक है।

वर्तमान में इंटरनेट और सोशल मीडिया का बढ़ता सामाजिक प्रभाव

आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का हमारे समाज में जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ रहा है उसे देखकर सर्वविदित है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया दोनों आज लोगों की हर जरूरत का हिस्सा बन गया है परन्तु इन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया क्या है?

इंटरनेट क्या है?

इंटरनेट एक दुसरे से जुड़े कई कम्प्यूटरों का ऐसा जाल है जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कम्प्यूटर को आपस में जोड़ता है अर्थात् यह सूचनाओं के आदान–प्रदान करने के लिए ज्बचध्प्च प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कम्प्यूटरों के बीच स्थापित बड़ा नेटवर्क है।

इंटरनेट के जरीये लोग आज दूर बैठे अपनों व अनजान व्यक्ति से दोस्ती व बात–चीत कर सकते है। किसी भी फाइल को तुरन्त ट्रांसफर कर सकते है। आॅनलाइन शॉपिंग व पढ़ाई तथा परिक्षा परिणाम प्राप्त कर सकते है और भी बहुत सारे काम हम इनसे पूरा कर सकते है जिन्हें पहले पूरा करने में कई घंटो का वक्त लगता था अब वो सभी काम चंद मिनटों पूर्ण हो जाता है।

सोशल मीडिया क्या है?

सोशल मीडिया एक ऐसा विशाल नेटवर्क है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से सारे संसार को आपस में जोड़े रखता हैं। संचार का यह सबसे अच्छा माध्यम है। इसकी सूचनाओं में हर क्षेत्र की खबरें होती है। सोशल मीड़िया इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जिसे उपयोग करने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म (फेसबुक,ट्विटर, इंस्टाग्राम) आदि का उपयोग कर पहुँच बना सकता है।

आज के दौर में सोशल मीडिया जिन्दगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है जिसमें बहुत सारे फीचर है जैसे कि सूचनाएं प्रदान करना, मनोरंजन करना और शिक्षित करना मुख्य रूप से शामिल है।

समाज में इंटरनेट और सोशल मीडिया का बढ़ता नकारात्मक प्रभाव

इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश आदि को सामजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। जो इसके सकारात्मक स्वरूप को दर्शाता है।

चूंकि कोई भी तकनीकि स्वयं में गलत और दुष्प्रभावित करने वाली नही होती है बल्कि उसे उपयोग करने वाला व्यक्ति और उसकी अपराधिक सोच वाली बुद्धि का परिणाम ही आमजन को, देश को नुकसान पहुँचाने वाला होता है। अतः तकनीकि के उपयोगकर्ता ही उस तकनीक के प्रभाव को गलत राह में लगा कर नुकसान पहुंचाता है।

जैसे – मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्क का निर्माण क्यों किया होगा?

क्योंकि वे चाहते थे कि लोग इस सोशल साइट के जरिये अपने विचार दूसरों के सामने रख सके क्योंकि व्यक्ति के विचार ही उसका चेहरा होता है। अपनें जीवन के बीते हुए क्षणों को फोटोग्राफ के रूप में अपने से दूर बैठे अपनों के साथ साझा कर अपने मित्रों में बांट सके परन्तु आज इस साइट का लोग दुरूपयोग कर रहे है। अपनी विकृत मानसिकता एंव दूसरे से बदला लेने हेतु या दुसरों कों परेशान करने हेतु ऐसे असामाजिक तत्व फेसबुक इत्यादि सोशल साइट्स पर अपना फेक (नकली) अकाउंट बनाकर लोगों को परेशान करने लगतें है।

लोग फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों द्वारा किए जाने वाले कमेन्ट्स और तस्वीरों को बड़ी आसानी से लारक्स और शेयर करते है लेकिन इन लाइक्स और शेयर का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उन पर कुछ हैकर्स की नजर रहती है। यह हैकर्स हमनें जो तस्वीरें या पोस्ट लाइक या शेयर किया है उसे बदलकर आपत्तिजनक कंटैट डाल देते है जो कि एक '' साइबर क्राइम '' कहलाता है। अतः यहा यह जानना जरूरी है कि यह साइबर क्राइम क्या है ?

साइबर क्राइम क्या है?

साइबर क्राइम एक आपराधिक गतिविधि है जिसमें कम्प्यूटर और नेटवर्क शामिल है। इस बात पर हमें कोई संदेह नहीं कि इंटरनेट दिन–प्रतिदिन पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। हर उम्र, जाति, धर्म, क्षेत्र के लोग आज इंटरनेट का उपयोग करते है क्योकि बहुतसारी सुविधाएं जैसे– शॅपिंग, ई'स्टडी, ई–न्यूज, इंटरनेट बैंकिग, ई–मेल्स, लोकेशन का पता करना या किसी भी चीज के बारे में पता करना हो तो हम सबसे पहले इंटरनेट पर ही सर्च करते है।

लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते है और दुनिया में भी कुछ अच्छे लोग होते है तो कुछ बुरे। यहां इंटरनेट पर भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छे भी है तो कुछ बुरे भी जो इंटरनेट पर इन्फोरर्मेशन चुराकर या दुसरे शब्दों मे कहे तो किसी भी इन्फोर्मेशन को हैक करके उसका गलत उपयोग करते है तो उन हैकर्स के द्वारा की गई इस धोखाधड़ी को ही हम ''साइबर क्राइम'' कहते है।

सोशल मीडिया और महिला अपराध

साइबर क्राइम शिकार सबसे ज्यादा आज महिलाएं हो रही है क्योंकि साइबर अपराधी महिलाओं को आसान शिकार मानते है। साइबर जगत और इसमें अंजाम दिए जाने वाले अपराध हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था के सामने हर रोज एक नई चुनौती पेश कर रहे है। खासतौर पर महिलाएं इन अपराधों की लगातार शिकार हो रही है।

साइबर क्राइम में सबसे प्रमुख अपराध हैकिगं का है जिसमें साइबर अपराधी हमारी वेबसाइट या ब्लोग को हैक हर उसमें अपनी मन मर्जी के अनुसार सब कुछ परिवर्तित कर सकता है या हमारे पूरे डाटा को डिलिट कर सकता है।

चूंकि आज की तारीख में यह सर्वज्ञात है कि सोशल मीडिया एक ऐसा लोकतंत्रिक मंच है जहां महिलाएं अपनी बातें बड़ी आसानी से तथा बड़ी जनसंख्या के सामने बगैर किसी डर व दबाव के तथा प्रतिबंध के रख सकती है। सोशल मीडिया आज बहुत तेजी से सूचनाएं वैश्विक रूप से लोगों तक पहुंचा रहा है परन्तु आज संपूर्ण विश्व में ही नहीं बल्कि हमारे भारत में भी कुछ खास तरह के ''साइबर क्राइम'' महिलाओं पर ही अंजाम दिए जाते है जो बेहद खतरनाक स्थिति है। महिलाओं को निशाना बनाकर सबसे ज्यादा और जिस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया जाता है, वह है–

- साइबर स्टाकिगं
- साइबर स्पाईग
- साइबर पॉर्नोग्राफी
- साइबर बुलिंग
- ट्रोलिगं

प्रमुख साइबर महिला अपराध

1. साइबर स्टाकिगं

साइबर स्टाकिगं यानी साइबर वर्ल्ड में पीछा करना या पीछे से हमला करना है। यदि कोई –

- बार – बार टेक्ट मैसेज भेजता है।
- मिस्ड कॉल करता है।
- फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है।
- स्टेटस अपडेट पर नजर रखता है।
- इंटरनेट मौनिटरिंग इसी अपराध की श्रेणी में आते है जो हमारी भा. दं. संहिता की धारा – 354ठ के तहत एक दंडनीय अपराध है।

2. साइबर स्पाइंग

इस तरह का यह साइबर अपराध आई टी एक्ट की धारा – 66म के तहत एक दंडनीय अपराध है। इसमें चैजिगं रूम, लेडिज वोशरूम, होटल्स रूम और बाथरूम के प्रयोग करने पर सब गतिविधियां रिर्कोड हो जाती है और उन महिलाओं को इन रिर्कोडिंग की फुटेज भेजकर उन्हें ब्लेकमेल किया जाता है जो कि साइबर स्पाइंग कहलाता है।

3. साइबर पोर्नोग्राफी

यह तीसरे प्रकार का अपराध है जो महिलाओं पर केन्द्रित है इसमें महिलाओं के अश्लील फोटो या विडियों हासिल कर उन्हे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जाता है। अधिकांश मामलों में अपराधी फोटो के साथ छेड़– छाड़ कर किसी और का चेहरा किसी पर लगा देते है बदनाम करने व परेशान कर फिर ब्लैकमेल करने के लिए उन ऐसी फोटो और विड़ियों का इस्तेमाल करते है। इस तरह के अपराध आई.टी.एक्ट की धारा– 67 व 67 (।) के तहत एक दंडनीय अपराध है।

4. साइबर बुलिगं

इस तरह के अपराध को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया जाता है। इसमें साइबर अपराधी पहले महिलाओं या लड़कियों से दोस्ती गांठते है और फिर उन्हें अपना शिकार बनाते है। उन्हें अपने विश्वास में लेकर और लालच के चलते नजदीकियां बढ़ाने के बाद महिला या लड़की के निजी फोटों हासिल कर लेते है। इसके बाद पीड़िता से मनचाहे काम करवाने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करते है।साइबर बुलिगं का दुष्परिणाम यह है कि इस तरह के कई मामलों में युवा लड़कियों के साथ रेप हुआ है, उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, वहीं अधिक उम्र वाली महिलाओं को पैसों के लिए ब्लैकमेंल किया गया है।

5. ट्रोलिगं

इस नए दौर की शब्दावली में ट्रोलिगं सबसे प्रचलित शब्द है। अर्बन डिक्शनरी के मुतकाबिक ट्रोलिगं वह प्रक्रिया है जहां इंटरनेट पर कुछ लोग आपको न केवल अपमानित करते है बल्कि वे समूह बनाकर आपका शिकार करने की कोशिश करते है। यह शुरूआत मजाक से शुरू होकर, ओछी टिप्पणियों और फिर धमकियों में तब्दील हो जाती है। यह ट्रोलिगं कई स्तरों पर हो सकती है। गंदे नामो से पुकारने के अलावा एक दम पीछे पड़ जाना और यहां तक कि यौन हमले व जान से मारने की धमकी तक यहां कुछ भी हो सकता है।

ट्रोलर्स का मददगार ट्विटर को माना जा रहा है क्योंकि दुनिया की तमाम सोशल साइट्स में से ट्विटर ही एक ऐसी साइट् है जो आप भी अपने ग्राहकों को बेनाम और बेचेहरा देने की सुविधा देता

है, यह पीठ पीछे बात करने वाले लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार बनता है।
एक मशहूर मनोचिकित्सक ''रूमा भट्टाचार्य' के अनुसार अनुशासन की कमी, अपनी पहचान छिपाने की सुविधा और बिना सामने आए मुंहफट तरीके से कोई भी बात बोल देने की सुविधा के ऐसे ट्रोलर्स को हौसला दिया है। अतः ट्विटर पर कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति को निशाना बना सकता है।
एक अन्य क्रिमिनल साइकोलौजिस्ट 'अनुजा गेहान कपूर' के अनुसार लाइक्स और प्रशंसा की चाह लोगों को तस्वीरों सोशल साइट्स पर डालने को प्रोत्साहित करती है और फिर यह निजी जानकारियां व तस्वीरें डालने का सिलसिला बढ़ जाता है। अक्सर महिलाओं के साथ यही स्थिति होती है कि उस वक्त नहीं सोच पाती है कि इन सबका दुरूपयोग भी किया जा सकता है और महिलाएं साइबर ट्रोलिगं की शिकार हो जाती है।
सोाशल मीडिया जैसे सार्वजनिक मंच पर महिलाएं अपनी बात रखती है तो उनको छेड़छाड, बलात्कार और हत्या जैसी धमकियां मिलना उतना ही आम हो गया है जितना गांव की पंचायतों में एक स्त्री को कुलटा, चरित्रहीन और चुडैल जैसी फस्तिाना कसी जाती है।
चर्चित न्यूजएंकर ''बरखादत्त'' को गालियां देते हुए ट्विटर पर उनका मोबाइल नं. सार्वजनिक कर दिया गया, जिसके बाद से उनके लिए परेशानियां का एक दुष्चक्र शुरू हो गया और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरसमेन्ट का सिलसिला चल पडा। एक ऐसा ही मामला अभिनेत्री' ''श्रुतिसेठ'' के साथ हुआ जब उन्होनें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ''सेल्फी विद बेटी'' अभियान पर ट्वीट किया कि उनकी शामत आ गई। उन्हें वेश्या और कुतिया कहकर संबोधित किया गया। दुःखी व नाराज सेठ ने अपने ट्वीट हटा लिए हांलाकि बाद में उन्होनें एक खुलाखत लिखकर अपनी बात रखी।
ये सब नाम तो महज बानगी है। इंटरनेट की दुनिया में महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियों का सिलसिला, उन्हें जान से मारने और उनका बलाात्कार करने की धमकियां देना आम बात होता जा रहा है। सोशल मीडिया का एक और बुरा पक्ष है महिलाओं का इन्बॉक्स में घुसकर तांकाझांकी करना। यह गंदा चलन पूरी दुनिया में बहुत तेजी से पांव पसार चुका है।
इंटरनेट पर की जा रही बकवास के लिए कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देते है जो कतई सही नई है।'' अभिव्यक्ति क स्ववंत्रता के नाम पर कानून किसी को जान से मारने या बलात्कार करने की जैसी धमकी की इजाजत नही देता।

साइबर अपराध की शिकार महिलाओं के प्राप्त आंकडें

एन.सी.आर.बी. के अनुसार देश में 2011 में कुल 13,301 वर्ष 2012 में 22,560, वर्ष 2013 में 71,780 साइबर अपराध में मामलें दर्ज किए गए। वर्ष 2015 में साइबर अपराध की करीब डेढ़ लाख घटनाएं सामने आई। ऐसी घटनाओं में ज्यादातर अपराधी युवा थे, जिनकी आयु 18 से 30 साल के बीच थी।
औसतन सिर्फ दिल्ली में ही एक माह में 40,000 के करीब साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता है। आई टी एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामलों में से सबसे अधिक मामले 5,548 कम्प्यूटर से संबंधित अपराध है, इनमें से 4,192 मामलें धारा – 66 (।) के तहत के थे जिसके अनुसार संचार सेवा के माध्यम से आक्रमक संदेश भेजने के आरोप में 2–3 साल तक की जेल की सजा दी जाती है।
यू एन ओं सितबंर 2015 की रिर्पोट की मानें तो भारत में केवल 35 प्रतिशत महिलाओं ने ही अपने खिलाफ हुए साइबर अपराध की शिकायत की। वही साइबर अपराध से पीड़ित लगभग 46.7 प्रतिशत महिलाओं ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। 18.3 प्रतिशत महिलाओं को तो अंदाजा ही नहीं था कि वे साइबर अपराध का शिकार हो रही है।
यूनाइटेड स्टेट ब्रोडबेडं कमिशन की '' कौम्बैटिगं आनलाइन वायलैंस अगेंस्ट वीमेन एण्ड गर्ल्स'' एक वर्ल्ड वाइड वेकअप कॉल'' शीर्षक वाली इस रिर्पोट में कह गया है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली लगभग एक तिहाई महिलाएं किसी न किसी तरह के '' साइबर अपराध '' का शिकार होती है।

साइबर महिला अपराध के कारण एवं अपराध के रोकथाम के संबंध में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम

वास्तव में साइबर क्राइम की एक बहुत बड़ी दुनिया है। यह एक ऐसा काला साम्राज्य है जिसे '' डार्कनेट '' भी कहते है। डार्कनेट पर एक खास ब्राउजर के साथ ही काम किया जा सकता है। डार्कनेट पर काम करनेके लिए '' टॉर ब्राउजर' का इस्तेमाल किया जााता है। इस ब्राउजर पर जब साइबर अपराधी काम करता है तो वह ऐसे में लोगों की नजरों से छिपा रहता है किसी को भी उसकी पहचान नहीं होती है और वह बड़ी आसानी से साइबर क्राइमं को अंजाम देकर आराम से बच सकता है। क्योंकि साइबर अपराधी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसको पहचान नहीं हो पाएगी और वह अपनें आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकेगा।
अधिकतर लोग सोशल साइट्स या इंटरनेट पर किसी को परेशान तभी करते है जब वो अपना बदला लेना चाहते हो और उनकी पहचान भी छीपी रहे। जैसे – फेसबुक व ट्विटर पर लोग ऐसे ही अपनी विकृत मानसिकता को दर्शाते है। जब वे लोगों को गालियां या गलत तरीके की चीजें लिखते है।
साइबर अपराध के पीछे की एक बड़ी वजह बेरोजगारी, मानसिक विकृति और गरीबी है जो इसके शिकार लोगों को साइबर अपराध करने के लिए मजबूर करता है। अहमदाबाद, मुम्बई, कलकत्ता, पुर्ण, दिल्ली, हैदराबाद आदि ऐसी मेट्रोपोंलिटन सिटीज है जहां ऐसे युवा जो नशे या ड्रग्स की आदी है और जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती तो वे साइबर क्राइम कर बैठते है और युवा लड़कियों और महिलाओं को इंटरनेट के माध्यम से अपनी बातों में फंसा कर या उन्हें शादी काा झुठा झांसा देकर उनकें साथ शारीरिक संबंध बनाकर तथा उनकी अश्लील फोटो या विडियों बनाकर उन्हें ब्लैक्मेल कर उनसे बड़ी रकम वसूल करते है।
व्हयू रिसर्च सेंटर के शोध के मुताबिक 92 प्रतिशत सोशल मीडिया के उपयोग कर्त्ता यह मानते है कि ऑनलाइन माहौल लोगों को एक दूसरे के प्रति अधिक कटु और आलोचनात्मक बनाता है गुमनाम रहने की ताकत ट्रोलर्स को सामान्य आलोचना से आगे बढ़कर दूसरों को परेशान करने की ताकत देती है।
हरजत गंज महिला पाने मे बने साइबर सेल के प्रभारी ''राजीव कुमार'' के अनुसार यहां ऐसे मामले आते है लेकिन लड़कियों के ऐसे मामले कम आते है। लेकिन हमें पता है कि इस तरह के अपराधों की ज्यादा शिकार वही है। कई बार उन्हें ये डर भी होता है कि कही उनकी बदनामी न हो जाए क्योंकि आवेदन देने लड़कीको स्वयं आना होता है। हम तभी कोई कार्यवाही इस संबंध में शुरू करते है।
''राजीव कुमार'' जी के अनुसार ऐसी छोटी घटनाओं पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो ये आगे चलकर बड़ी वारदातों में बदल जाती है इसलिए उन्हें दबाने के बजाय उनकी शिकायत करें।
ऐसे मामलों मे अगर महिला अपनी पहचान गोपनीय रखकर कार्यवाही चाहती है तो इसके लिए वुमन पावर लाइन 1090 पर भी वह शिकायत दर्ज करवा सकती है। 1090 के एडिशनल एस पी अजय मिश्रा से जब हमारी बात हुई तब उन्होनें बताया कि1090 पर ऐसी शिकायतें लगातार आती रहती ह। हम कोशिश करते है कि लड़की की गोपनीयता बनी रहे, चिन्हित व्यक्तियों को पहली बार समझाया जाता है अगर इसके बाद भी वो नही मानते तब उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।
सर्वे के मुताबिक इंटरनेट पर पीछा करने एवं सेक्युअल हैरसमेंट

की धटनाये युवा स्त्रियों के साथ ही होती है जिसमें 25 से 29 आयु वर्ग की महिलाओं की तुलना में 18 से 24 साल की युवतियों के साथ ऐसी वारदातें दोगुनी से भी अधिक होती है।

महिला एव बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ होने वाली 'ट्रोलिगं' को रोने के लिए '' एंटी ट्रोलिगं'' की घोषणा की. जो कि महिलाओं के आनॅलाइन प्रताड़ना के मामलों पर निगरानी रखेगी। इसके तहत एक इकाई प्रभावित महिलाओं द्वारा ई–मेल के जरिए की गई शिकायतों पर कार्यवाही करेगी। जिसमें गाली गालौज वाले व्यवहार, प्रताड़, नफरत भरे आचरण के बारे में शिकायत मिलेगी।

चूंकि साइबर अपराधों को रोकनें व जांच के लिए राज्यों एवं संध शासी प्रदेशो में साइबर अपराध प्रकोष्ठ (ब्लइमत`मबनदजपल बंसस) स्थापित किए गए है। अनेक राज्यों में साइबर अपराध प्रशिक्षण एवं जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है जो राज्यों में साइबर कानूनों के प्रवर्तन एवं न्यायपालिका के प्रशिक्षण में सहायक सिद्ध होगी। इन प्रयोगशालाओं में पुलिस अधिकारियों एंव न्यायिक अधिकारियों को प्राशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

सरकार एवं विभिन्न विधि विश्वविद्याालयों द्वारा साइबर अपराधों के संबंध जानकारी प्रदान करने के लिए जागरूकता व प्रशिक्षण कार्य क्रम का संचालन किया जा रहा है। साइबर अपराध से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन शुरू की गइ है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि बदलते समाज में इंटरनेट और सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव से बढ़ रहे महिला अपराधों के पीछे साइबर अपराधी के अपराध करने की निम्नलिखित मुख्य कारण रहे है वह है –

- गरीबी
- बेरोजगारी
- ड्रग्स
- मानसिक विकृति

ट्रोलर्स महिला को साइबर अपराध के संबंध में अपना सबसे आसान शिकार मानतें और ट्रोलर्स अपनी पहचान छिप जाने के कारण यह कार्य बड़ी आसानी से कर पाते है। और ऐसे में उनको पकड़ने में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। सरकार ने भी ऐसे साइबर महिला अपराध कें संबंध में महिला के मदद करने हेतु हेल्प लाइन 1090 नं. पर सेवाएं उपलब्ध करवाई है। और यहाँ इस माध्यम से साइबर अपराधी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के रास्ते खुले है। ऐसे अपराधों की रोकथाम एवं अपराधी को दंडित करने हेतु कई नियम एवं कानूनों का निर्माण किया गया है। अतः साइबर स्पेस में महिलाओं के विरूद्ध बड़ रहे अपराधों के पीछे विकृत मानसिकता ही मुख्य रही है क्योंकि यह एक ऐसा संसार है। जहां कोई भी किसी को नहीं जान पाता कि कौन सही है और कौन गलत और ना ही आसानी से पकड़ पाता है। ऐसे मे अन्तर्मुखी व्यक्तित्व के लोगों की विकृत मानसिकता को बढ़ावा मिलता है और इस प्रकार से अपराध बढ़ते है।

अन्य देशों में इस हेतु पर्याप्त जागरूकता देखी जा रही है अनेक शोध कार्य इस समस्या के सामाधान हेतु किए जा रहे है और नवीनतम आंकडे प्रस्तुत कर कानून प्रणाली की सार्थकता एवं विफलता का परिणाम बताते है । परन्तु हमारे भारत देश में इस तरह का कार्य बहुत धीमा प्रवृति का दर्शित होता है। अभी ओर शोध कार्य बाकी है और अपराध एवं उसकी रोकथाम के नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत न हो पाने के कारण इस सबंध में पर्याप्त परिणाम ज्ञात नही हो पाता। अतः भारत में इस सम्बन्ध मे जागरूकता की अत्यन्त आवश्यकता महसूस होती है। इन दिनों हमारे समय में कई टेलीविजन प्रोग्राम ओर रेडियों में जागरूकता के सम्बन्ध में कई प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है। और कई नवीन फिचर्स फिल्म जैसे पिंक, दंगल इत्यादि में महिला को सशक्त बनाने वह न डरने प्रेरित करने वाले कथन है। जो महिलाओं में एक आत्मविश्वास भरने का कार्य करते है ताकि वे किसी से न डरे विपरित परिस्थियों का सामना करना सिखें ताकि वे अपना व अपने देश का विकास कर सके।

सुझाव

- सुरक्षा एंजेसियों को तेजी से बढ़ते हुए इन अपराधों को रोकने और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की हर संभव कोशिश करें।
- महिलाओं के बीच इन अपराधों और आपराधिक तरीकों को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जो सिर्फ उन्हें निशाना बनाकर अंजाम दिए जा रहे है। वक्त आ गया है। अब महिलाऐं उक्त जोखिमों को समझें और साइबर जगत में अपने ऊपर मंडरा रहे खतरों को लेकर तत्काल जागरूक बनें।
- सोशल साइट्स के जरिये महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों की जानकारी व उनसे निपटने के लिए के लिए वो भी बिना किसी डर के, उसके लिए स्कूल, कॉलेजो, कार्य क्षेत्र मै प्रशितण देना अनिवार्य करना चाहिए।
- पूर्व निर्मित कानूनों में आवश्यक संशोधन होने चाहिए ताकि बदलते साइबर क्राइम व उसके तरीको के अनुसार साइबर अपराधि को दंडित किया जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

1. एस.एन.मिश्रा, भारतीय दंड संहिता, 1860, संस्करण–18 सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेषन, इलाहबाद, 2012
2. दिप्ती चोपड़ा एण्ड केथ मेरिल, 'साइबर कोप्स, साइबर क्रिमिनल्स इंटरनेट' आई.के.इंटरनेशलन प्रा. लि., नई दिल्ली
3. डॉ. फारूख अहमद, 'साईबर लॉ इन इंडिया (लॉ ऑफ इंटरनेट)' न्यू इरा लॉ, पब्लिकेषनस, दिल्ली, 2011
4. डॉ. अनिता वर्मा, 'साइबर पॉर्नोग्राफी', आर्मी इन्सीट्यूट ऑफ लॉ जनरल वॉल्यूम–1, 2007
5. डॉ. एम. पोनाइन, 'साइबर क्राइम, मॉर्डन क्राइम एंड ह्यूयमन् राइट्स', द पी. आर. जनरल ऑफ हूयमन् राइट्स, जुलाई–सितम्बर 2000.
6. ''इन्वेस्टीगेषन ऑफ कम्प्यूटर क्राइम : इष्यूज एंड चेलेजेंज'', क्रिमिनल लॉ जनरल, वाल्यूम् 114, फरवरी 2008.
7. जाग्रती देकवाडिया, 'साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ – द इंडियन प्रेसपेक्टिव', गुजरात लॉ हेराल्ड, वाल्यूम् जून 29(2), 2009
8. http:/tmu.ac.in/gallery/viewpointsdxip2013/pdf/track4/T-403.pdf
9. http://digizen.org/downloads/cyberbullyingOverview.pdf.
10. http://womenslawproject.wordpress.com/2011/06/13cybertalking-a-growing-problem/
11. http://cyberlaws.net/cyberindia/cybercrime.html
12. http://www.netsafe.org.nz/Doc_Library/netsafepapers_davidharvey_cyberstalking.pdf
13. http://newindianepress.com/cities/bangalore/article1352590.ece
14. http://ijecs.in/ijecsissue/wp-content/uploads/2012/12//48-52.pdf